



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 43099 वर्ष 2025

जाकिर @ जत्थल

आवेदक/आवेदकों

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

विपक्षी पक्ष पक्षकार

आवेदक(कों) के अधिवक्ता: सुनील कुमार सरोज

विपक्षी पक्ष(कों) के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश कुमार सिंह, राज्य-प्रतिवादी के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की तर्क सुने और अभिलेखों का अवलोकन किया।

यह जमानत याचिका आवेदक की ओर से दायर की गई है, जिसमें उनसे अनुरोध किया गया है कि उन्हें वाद संख्या 755/2025, धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत, पुलिस स्टेशन लासरीगेट, जिला मेरठ में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा किया जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे किसी गुप्त इरादे से इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

गिरफ्तारी याचिका के समर्थन में दायर हलफनामे में गिरह-सूची में उल्लिखित आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण दिया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि गिरफ्तारी में उल्लिखित सभी मामलों में आवेदक को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आगे यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक किसी गिरोह का सदस्य, नेता या आयोजक नहीं है और उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) में वर्णित किसी गिरोह की गतिविधियों में न तो सहायता की है और न ही उकसाया है। आवेदक का उपरोक्त मामले के अतिरिक्त कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह निवेदन किया जाता है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने या गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो 07.11.2025 से कारावास में बंद है, वचन देता है कि यदि उसे स्वतंत्रता दी जाती है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में लंबित मामलों की अत्यधिक संख्या को देखते हुए, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2020 (11) एससीसी 648** के मामले में दिए गए एक निर्णय पर भरोसा जताया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है कि किसी आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामलों का लंबित होना स्वयं जमानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता आवेदक की जमानत याचिका का विरोध नहीं कर सके और न ही आवेदक के विरुद्ध कोई अन्य मामला बता सके, सिवाय उस मामले के जो आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत गिरोह-सारिणी में दर्शाया गया है।

सभी तथ्यों, प्रकृति और अभिलेख से प्राप्त साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, और अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

आवेदक जाकिर उर्फ ज़त्थल को उपरोक्त मामले में, अपराध संख्या के अनुसार, स्वीय बंधपत्र और दो विश्वसनीय जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए, जो कि संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप हों।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) आवेदक, मामले की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को अदालत या किसी पुलिस अधिकारी के सामने वे बातें बताने से रोकने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए, सीधे या परोक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक मुकदमे की शुरुआत, आरोप तय करने और बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित तिथियों पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा, जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों।

(v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य से ही सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले की योग्यता पर टिप्पणी के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगी।

19 जनवरी, 2026

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।